राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार--2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 166/2015

बाबूलाल पुत्र मांगीलाल जाति राव निवासी केकाखेडी तह0 मांगरोल जिला बारां

.......प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री दयाकृष्ण धाकड

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

दायरा दिनांक: 01.09.2015

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नं0 61 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा ग्राम बलवन खेडी में दिनांक 24.06.1978 को आवंटित हुई थी जिसके हाल खसरा नं0 197 रकबा 0.97 है0 दर्ज हुए है। जिसे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। आवंटित रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा में से सेटलमेंट राजस्व कार्मिको ने बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी की आवंटित आराजी के रकबे 12 बीघा 9 बिस्वा में कटौति कर 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज की गयी है। प्रार्थी आवंटन हुयी आराजी पर आवंटित दिनांक से आज दिनांक तक निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा कम किया गया रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा को प्रार्थी दुरुस्त करवाकर खातेदार होने का कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं आवंटन शुदा आराजी ग्राम बलवनखेडी के साबिक खसरा नं0 61 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 197 रकबा 0.97 है0 कमी रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा आराजी पर प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 01.09.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/केम्प जलोदा तेजाजी दिनांक 17.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने

रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम बलवनखेडी में प्रार्थी के नाम पर गैर खातेदारी व खातेदारी की अंकित नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 197 जो स्वयं के खाते में बताया है वह खसरा नं0 197 0.97 है0 भूमि राजेश कुमारी पत्नि राकेश कुमार जाति मीणा निवासी चैनपुरिया के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। अतः रकबा बढाने का प्रश्न ही नही उठता।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने बलवनखेडी के साबिक खसरा नं0 61 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 197 रकबा 0.97 है0 कमी रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की ग्राम बलवनखेडी में प्रार्थी के नाम पर गैर खातेदारी व खातेदारी की कोई भूमि अंकित नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 197 जो स्वयं के खाते में बताया है वह खसरा नं0 197 रकबा 0.97 है0 भूमि राजेश कुमारी पत्नि राकेश कुमार जाति मीणा निवासी चैनपुरिया के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के नाम कोई भूमि दर्ज नही है। अतः प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प जलोदा तेजाजी मजमेंआम में सुनाया गया।